न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./53/2025/बाड़मेर

अपीलांट **बनाम** **रेस्पोडेंटगण**

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. अचलाराम पुत्र गंगदाराम 2. देमादेवी पत्नी सुराराम 3. मगाराम पुत्र सुराराम 4. मांगाराम पुत्र माशीगाराम 5. केसाराम पुत्र विरधाराम 6. ताजाराम पुत्र पांचाराम 7. थानाराम पुत्र अजाराम 8. प्यारीदेवी पत्नी थानाराम 9. पांचाराम पुत्र अजाराम 10. भावाराम पुत्र विरधाराम 11. मफीदेवी पत्नी पांचाराम 12. मोहनीदेवी पत्नी लाधाराम 13. रतनाराम पुत्र विरधाराम 14. लाधाराम पुत्र अजाराम, जाति कलबी, निवासी नई उन्दरी, तह. गुडामालानी, जिला बाड़मेर	1. केराराम पुत्र खेताराम 2. गोवाराम पुत्र नीम्बाराम 3. छगनाराम पुत्र तुलछाराम 4. तेजाराम पुत्र लाधाराम के का. मु.– 4/1. केसी पत्नी तेजाराम 4/2. दिनेश कुमार पुत्र तेजाराम (नाबालिग वलिदां केसीदेवी) 4/3. हरीश कुमार पुत्र तेजाराम 5. दरगीदेवी पत्नी नीम्बाराम 6. दानाराम पुत्र नीम्बाराम 7. पुरखराम पुत्र मानाराम 8. प्रभूराम पुत्र नीम्बाराम 9. पांचाराम पुत्र तुलछाराम 10. मोटा पुत्र लाधा 11. रूखमो पत्नी लाधा 12. लालाराम पुत्र नीम्बाराम 13. वालाराम पुत्र नीम्बाराम 14. वीरमा पुत्र लाधा 15. शंकरा पुत्र लाधा 16. हिन्दू पुत्र लाधा 17. होथीराम पुत्र तुलछाराम 18. नगा पुत्र उमा 19. पेमाराम पुत्र नेथीराम 20. मांगाराम पुत्र उमाराम 21. रामा पुत्र गिरधारी 22. लीला पुत्र उमा 23. सीतादेवी पत्नी नेथीराम, जाति कलबी, निवासी नई उन्दरी, तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर। 24. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई., शाखा गुड़ामालानी 25. शाखा प्रबंधक जे.टी.जी.बी. बैंक, सडा। 26. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा ए.डी.बी., गुड़ामालानी।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	27. मैनेजर वी.सी.सी.वी. बैंक शाखा सिणधरी। 28. शाखा प्रबंधक, आर. एम. जी. बी. बैंक शाखा गुड़ामालानी 29. तहसीलदार, गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 448/2024 बउनवान केराराम बनाम केसाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.03.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पो. संख्या 1 से 21 व 23 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—03.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा नई उन्दरी, तह. गुड़ामालानी के खसरा संख्या 77 रकबा 2.7438 हेक्टेयर आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पडोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 86, 85, 84, 97 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा नई उन्दरी, तह. गुड़ामालानी के खसरा संख्या 77 रकबा 2.7438 हेक्टेयर आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 86, 85, 84, 97 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जवाव का अवलोकन किये बिना ही केवल प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 1 की ओर से पेश आवेदन को एकतरफा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2025 पारित किया गया है। जो विधि विरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में खसरा संख्या 72 में सरकारी स्कूल है जिसके पास ही में रेस्पों. संख्या 1/प्रार्थी का खेत आया हुआ है यहां से अपीलाधीन रास्ते से निकटतम दूरी का रास्ता है किन्तु प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 1 द्वारा जानबूझकर केवल मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने के लिए खेत खसरा संख्या 97 जो लम्बा खेत एवं खसरा संख्या 86 में अनार का बाग लगा हुआ है उसमें से अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से अपीलाधीन मार्ग की मांग की है। यहां पर अपीलांट के खेत में बागवानी खेती (अनार) की हुई है, भूमिगत ड्रिप सिंचाई के पाईप हैं जिसका मूल्यांकन नहीं किया गया है जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति हो रही है। जिसका आंकलन संभव नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार, गुड़ामालानी द्वारा न्यायालय के आदेश से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में भूमि का नाप तौल किये बिना ही मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। उक्त एकतरफा तैयार मौका रिपोर्ट को बिना जांच किये ही प्रश्नगत मौका रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ता कायम कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अपीलाधीन आदेश में द्वारा प्रस्तावित रास्ते में अपीलांट की रहवासीय ढाणियां, टांके, चारबाड़े इत्यादि बने हुई हैं। जिनका प्रश्नगत मौका रिपोर्ट में कहीं पर भी अंकन नहीं किया गया है। उक्तानुसार मौका रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर तैयार की गई है जिसको आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वास्तव में स्कूल के पास जो रास्ता निकलाता है उस रास्ते से ही रेस्पों. एवं अन्य ग्रामवासी आते जाते हैं जो रास्ता सुगम एवं सरल है तथा उससे किसी भी खातेदार को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व राजस्व कर्मचारियों के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन ओदश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम मार्ग प्रतीत होता है। इससे सहखातेदारों के खेतों को बिना विखंडन किये अपीलाधीन रास्ता कायम किया गया है। उक्तानुसार रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत तक पहुंचने के लिए कोई अन्य विकल्प/रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पेज संख्या 06 पैरा 09 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर विधि सम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसलिए अपीलांट की मौका रिपोर्ट संवंधित उक्त आपत्तियों में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया है रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 448/2024 बउनवान केराराम बनाम केसाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.03.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

3/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर